चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका (The Increasing

Role of Money in the Elections) चुनावों में अत्यधिक गम्भीर दोष चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका के रूप में सामने आया है। हमारे कानून निर्माता इस दोष के प्रति सचेत थे और इसी कारण उनके द्वारा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले व्यय की सीमा निश्चित की गयी है। 1979 के मध्य तक अधिकांश राज्यों में लोकसभा चुनाव में खर्च किये जाने वाले व्यय की सीमा 35 हजार रुपये थी । वास्तविक व्यय को देखते हुए व्यय सीमा नितान्त अवास्तविक थी । व्यय की इस सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, अतः 31 दिसम्बर, 1997 को एक अधिसूचना जारी करके प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब बड़े लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 4.5 लाख रुपए के स्थान पर 15 लाख रुपए तक तथा विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 1.5 लाख रुपए के स्थान पर 6 लाख रुपए तक व्यय किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों द्वारा किए जा सक वाले चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा में इससे पूर्व अक्टूबर 1994 में संशोधन किया गया था ।

कानून में यह सीमा विद्यमान है, लेकिन व्यावहारिक रूप में राज्यों में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविक रूप चुनावों के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले धन की मात्रा में सम्बन्ध में तत्कालीन संसद सदस्य कृष्णकान्त लिखते हैं, के "लोकसभा सदस्य को अपने चुनाव में ईमानदारी के साथ 30 से 40 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है। औसतन 65 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनावों पर खर्च होता है और लगभग 135 करोड़ रुपया विधानसभा चुनावों पर।" श्री कृष्णकान्त द्वारायह बात 1974 में कही गयी थी, आज 2009 में तो उस समय की तुलना में चुनाव व्यय निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ गया है। चुनाव कार्य से परिचित व्यक्ति बताते हैं कि अब तो लोकसभा चुनाव में औसतन 2 से 5 करोड़ रुपया खर्च करना होता है इसके अन्तर्गत भ्रष्ट उपायों के रूप में खर्च की जाने वाली राशि सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में दखल रखने वाले विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कुछ उदाहरणों में लोकसभा उम्मीदवार ने अपने चुनाव अभियान में 2 से 10 करोड़ रुपये या इससे भी अधिक और कुछ उदाहरणों में विधानसभा उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक धनराशि खर्च की गयी। यह स्थिति आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में ही अनेक दोषों को जन्म देकर समस्त व्यवस्था को विकृत करने वाली है। 5 अक्टूबर, 1974 को संसद सदस्य अमरनाथ चावला का चुनाव अवैध घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनावों में धन की बढ़ती हुई शक्ति के प्रति सचेत किया है। चुनाव में धन की निरन्तर बढ़ती हुई इस भूमिका के कारण ही काला धन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ एक-दूसरे के साथ जुड़ गये हैं। वस्तुतः चुनावों में धन की शक्ति को नियन्त्रित करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है और इस सम्बन्ध में प्रमुख निम्न सुझाव दिये जा सकते(i) राजनीतिक दलों के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करना—'अमरनाथ चावला विवाद' में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 19 अक्टूबर, 1974 को राष्ट्रपति द्वारा इस

आशय का अध्यादेश जारी किया गया कि चुनाव में उम्मीदवार के राजनीतिक दल द्वारा किये जाने वाले खर्च को उम्मीदवार द्वारा किये गये खर्च में सम्मिलित नहीं समझा जायेगा।

इस अध्यादेश के कारण वर्तमान समय में स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ होने की सम्भावना रखने वाले राजनीतिक दल के उम्मीदवार की स्थिति प्राप्त हो जाय, तो उसे प्राप्त साधनों और परिणामतया उसके चुनाव व्यय की व्यवहार में कोई सीमा ही नहीं रहती। वह चुनाव लड़ने के लिए अपने राजनीतिक दल से नकद राशि ही नहीं वरन् जीप गाड़ियां और अन्य वाहन, झण्डे, बड़ी संख्या में छोटे-बड़े पोस्टर, वीडियो टेप और प्रचार साहित्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है और वह जितना भी खर्च करे, सबका सब कानूनी और जायज होता है, क्योंकि राजनीतिक दल द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं समझा जाता । 19 अक्टूबर, 1974 को जारी किये गये अध्यादेश के कारण चुनाव व्यय के सम्बन्ध में सीमा निर्धारण का कोई महत्व नहीं रह गया है।

चुनाव में धन की शक्ति के इस्तेमाल और प्रभाव से चिन्तित चुनाव आयोग ने सितम्बर 1982 में ही सरकार से अनुरोध किया था कि हमें 19 अक्टूबर, 1974 से पूर्व की स्थितिको पुन: अपनाना चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल द्वारा खर्च किये जाने वाले धन को उम्मीदवार के चुनाव व्यय में सम्मिलित करने की व्यवस्था है। अतः 19 अक्टूबर, 1974 का अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों से अलग अलग उम्मीदवारों के लिए खर्च की गयी धनराशि का हिसाब पूछा जाना चाहिए और स्वयं उम्मीदवार, उसके राजनीतिक दल, उसके मित्र, सम्बन्धी और शुभचिन्तक सभी द्वारा चुनाव प्रसंग में खर्च की गयी धनराशि को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह निर्णय दिया कि उम्मीदवार के राजनीतिक दल द्वारा उस पर किए गए व्यय को भी शामिल किया जाएगा।